<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>पाबूराम सुथार बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा)
सू.अ.अपील संख्या 236/2022</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>08.08.22</td><td>अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम सुथार निवासी सुथारों का बास, ग्राम हरियाढाणा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2022 में उसके द्वारा खसरा संख्या 1293 पटवार मंडल पटेलनगर तहसील बिलाड़ा एवं खसरा संख्या 1257 व 1262 पटवार मंडल हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>